



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०- 2224529 2224529

केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट एवं www.eproc.bihar.gov.in पर
ई-कोटेशन सूचना संख्या-32/2014

- कोटेशन आमंत्रणकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. कोटेशन कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय **05-12-2014** के अपराह्न **11.00** बजे से। 3. कोटेशन कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय **08-12-2014** को अपराह्न 17.00 बजे तक 4. कोटेशन अप लोड करने की तिथि एवं समय : **10-12-2014** को अपराह्न **15.00** बजे तक। 5. कोटेशन की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : **12-12-2014** को **15.30** बजे अपराह्न। 6. कोटेशन खोलने का स्थान-वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर। 7. आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रधन की राशि ₹ में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	बिहार के 21 काराओं में नवनिर्मित मुलाकाती कक्ष (टाईप- ए., बी. एवं सी.) में फर्नीचर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य	96.00	192000	10000	5618	2 माह
8.	इस कोटेशन की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाईट www.bpbcc.co.in / वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक- 05-12-2014 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।					
9.	कोटेशन प्रसंस्करण शुल्क एवं परिमाण विपत्र के मूल्य को अलग-अलग स्तम्भ में दर्शाया गया है जो वापस नहीं होगा। कोटेशन प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा कोटेशन सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ कोटेशन अपलोड नहीं करने, ईटर्नेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात /छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। शेष परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतान दिनांक- 08-12-2014 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो कोटेशन के सामने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायगा। अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 10-12-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। ईकोटेशन से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 11.12.2014 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा।					
10.	ख्याति प्राप्त कम्पनी के बिक्रेता मात्र ही कोटेशन देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर निगम में उन्हें एकरारनामा कराना आवश्यक होगा। अगर किसी प्राधिकृत बिक्रेता को पूर्व में निगम से कोई कार्य आवंटित हुआ है और उसमें यदि कोई त्रुटि पाई गई है तो वे कोटेशन में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।					
11.	आपूर्ति करने वाले प्राधिकृत बिक्रेता को गुणवत्ता हेतु आई.एस.ओ. 9001 मानक के मानक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आपूर्ति करने वाले प्राधिकृत बिक्रेता का कम-से-कम वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष का 2 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए।					
12.	आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का मूल्य में सभी कर सहित एफ.ओ.आर. विभिन्न 21 काराओं का डेस्टिनेशन वेबसाईट पर देखा जा सकता है।					
13.	किसी कार्य की प्रथम बार एकल कोटेशन प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन कोटेशन के रूप में आमंत्रित की जायगी।					
14.	समुचित अग्रधन के अभाव में कोटेशन अमान्य समझी जायगी। अग्रधन की राशि छः वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/ बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा।					
15.	आपूर्ति की गई सामग्रियों की विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्ता जाँचोपरांत ही भुगतान हेतु अनुशंसा की जायगी।					

नोट :- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

ह/— मुख्य अभियंता, पटना।